

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय  
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं० सं०-एस०आई०पी०बी० 201700277.....  
सेवा में,

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स सनराईज सारण कन्ट्रक्सन प्रा० लि०, सारण द्वारा मिर्जापुर, सारण में 15000 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का दाल मिल ईकाई स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 5,87,572/- (मात्र पाँच लाख सतासी हजार पाँच सौ बहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स सनराईज सारण कन्ट्रक्सन प्रा० लि०, सारण द्वारा मिर्जापुर, सारण में 15000 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का दाल मिल ईकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट की बैठक दिनांक 24.04.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 26.03.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक SIPB201700277/1217, दिनांक 28.08.2018 के द्वारा श्री आर० के० ठाकुर, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 02.08.2018 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 30.09.2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 5,12,422/- (मात्र पाँच लाख बारह हजार चार सौ बाईस रूपए) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को द्वितीय किस्त के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 5,87,572/- (मात्र पाँच लाख सतासी हजार पाँच सौ बहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं०-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, नॉंग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सक्स्टिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकल्पित होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

- 6 इस राशि के निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा निम्नी पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
- 7 इस राशि की निकाली नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
- 8 इस राशि की निकाली पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० कार्म-25 पर की जाएगी।
- 9 इस राशि का भुगतान सनराईज सारण कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० को उनकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाजीपुर में खाता संख्या-37155943285, IFS Code- SBIN0017487 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल को आदेश से।

80/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी० 201700277.....

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

80/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी० 201700277.....

दिनांक-

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

80/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी० 201700277..... 1288

दिनांक- 05.03.19

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / ✓ 80 टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स सनराईज सारण कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, सारण को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।